संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016

विषय :- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81 (टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र/पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/33/2012-पी0एण्ड पी0डब्लू0(ई0) दिनांक 16.01.2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3- इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-33/2016-सा-3-784(1)/दस-2016/308/97 तद्दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।